

31/19

दिनांक

कार्यावाही विवरण

हरनाथर

पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार आसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संग्रोधान कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शा में वन टू वन संग्रोधान किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आयुक्त नाम *Starf* खसरा नं. 195, 195 जमाबंदी में रकबा एक साथ जुमला दर्ज है जबकि मौके पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातेदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए नक्शा में अंकन किया जाना है। उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी एवं संग्रोधान हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
 एवं
 सहायक सचिव व
 सहायक सचिव, आसिया